Violation of norms of promotion by Board of Control of CSD

4328. SHRI D. M. PUTTE GOWDA:
SHRI H. N. NANJE GOWDA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Board of Control of his Ministry's Canteen Stores Department is violating the norms of promotion prescribed by the U.P.S.C.;

(b) if so, whether he has received any representation from the Board of Control in this regard; and

(c) if so, action contemplated by Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) No, Sir.

(b) and (c). A few representations have been received from Managers Selection Grade against the seniority assigned to them in the panel for promotion to the grade of Assistant General Manager/Manager Selection Grade. The inter seniority was determined as per recommendations of the U.P.S.C. However, the representations are under examination. Some officers have also filed writ petitions in the Bombay High Court in this connection.

Shifting of Regional Office of Dena Bank at Calcutta

4329. SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) is it a fact that Dena Bank is shifting its regional office at Calcutta from P-15 Ganesh Chandra Avenue to Trivoli Park, Calcutta;

(b) if so, what are the terms with regard to monthly rent and whether any advance has been given to the owners for the place;

(c) is it a fact that the Union Bank has its office in the same floor or Trivoli Court where Dena Bank is proposing to shift;

(d) whether Dena Bank has received any offers from the owner of Park Hotel and Gujarati Education Society regarding premises for shifting; and

(e) if so, what were the terms of each of those offers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): (a) and (b). According to the information furnished by Dena Bank their Regional Office at Calcutta is being shifted from P-15 Ganesh Chandra Avenue to the premises of Orient Beverges Ltd. at Aelpe Court, 225, C, Lower Circular Road (Trivoli Park). The agreed rent is Rs. 6.50 per sq. ft. per month. The terms provide for sanction of a loan of Rs. 10 lakhs at 15% interest adjustable from monthly rent.

(c) Yes, Madam.

(d) and (e). According to the bank, they did not receive any offer from Gujarati Education Society for Regional Office premises. They did receive an offer from owners of Park Hotel for their premises at a monthly rent of Rs. 7.50 per sq. ft. and an advance of Rs. 10 lakhs.

विदेशी ऋण पर ब्याज

4330. श्री जयपाल सिंह कश्यप: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश द्वारा जून, 1982 तक मूल और ब्याज के रूप में कुल कितनी राशि अदा करनी थी; और

(ख) देश द्वारा विदेशी ऋणों की सहायता से उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई और उससे कितना लाभ हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 30-6-1982 को मूलधन के रूप में भारत सरकार की कुल बकाया देनदारी 15807.45 करोड़ रुपए की थी। ब्याज की रकम जब-जब देय होती है अदा कर दी जाती है। ब्याज की कोई रकम बकाया नहीं है। तथापि, वर्ष 1982-83 के दौरान सरकारी खाते से अनुमानतः 304.65 करोड़ रुपए की राशि ब्याज के रूप में देय होगी।

(ख) योजनाबद्ध विकास के लिए सरकार द्वारा कुल मिलाकर जो साधन जुटाए जाते हैं, विदेशी सहायता उनका अपेक्षाकृत एक छोटा सा भाग है। इसलिए विदेशी ऋणों/उधारों की सहायता से उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई और उससे कुल कितना लाभ हुआ यह अलग-अलग बताना संभव नहीं है। मोटे तौर पर हमारा देश विदेशी सहायता से अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक आयातों का वित्त-पोषण करने में समर्थ हुआ है।

प्रिंटेड कपड़े पर उत्पादन-शुल्क का प्रभाव

4331. **श्री अशोक गहलोत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रिंटेड कपड़े पर उत्पादन-शुल्क लगाये जाने के परिणामस्वरूप देश के लघु उद्योगों की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है,

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ राहत देने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): (क) से (ग) दिनांक 20 अप्रैल 1982 की अधिसूचना सं० 130/80-के० उ० शु० और सं० 131/82-के० उ० शु० के अनुसार, ऐसे सूती फैब्रिकों पर उत्पादन-शुल्क लगाया गया था जिनपर शक्ति या भाप की सहायता के बिना चलने वाली मशीनों से विरंजन, रंगाई अथवा छपाई की प्रक्रियाएं की गई हों और जहां पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में तथा चालू वित्त वर्ष के किसी भी दिन को निकासित ऐसे फैब्रिक की मात्रा इन अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो। इन परिवर्तनों के परिणामतः सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें ऐसे फैब्रिक पर इस शुल्क लेवी को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। सरकार द्वारा इन अभ्यावेदनों की जांच की गयी और दिनांक 18 जून, 1982 की अधिसूचना सं० 194/82-के० उ० शु० के द्वारा हस्तचालित मशीनों की सहायता से प्रक्रियागत सूती फैब्रिकों पर लागू शुल्क संरचना में कतिपय परिवर्तन किये गये। ऐसे फैब्रिक पर लागू शुल्क संरचना में और कोई परिवर्तन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Development of Konark as International Tourist Centre

4332. SHRI LAKSHMAN MALLICK : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the proposal for the development of Konark as an International Tourist Centre is under the consideration of Government ;

(b) if so, the progress made so far in implementing the above proposal ; and

(c) the details thereof ?